

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक 447 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, अगस्त 22 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय—

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, देवरिया-कसया मार्ग एस०एच०-79 के कि०मी० 11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला देवरिया, देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 0.5 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ—

भरत साकार के पत्र संख्या 8 बी/यूपी/06/135/2023/एफसी/201 दिनांक 26.06.2023 एवं आपके कार्यालय के पृठांकन पत्र संख्या 4073/11सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/153338/2022, दिनांक 28.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में प्रभागीय निदेशक सा०वा० वन प्रभाग देवरिया ने अपने पत्रांक 421/2-6 दिनांक 08.08.02023 द्वारा विन्दूवार आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिसे आनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी आपकी सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

संख्या— अ / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नक सहित पत्रावली प्राप्त कर अपने विशेष पत्र वाहक से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 421 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 08 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 11 (चैनेज सं0-11.100 के मध्य) दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418/ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाघक 05 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/135/2023/एफ0सी0/201 दिनांक 26.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-4073/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 28.06.2023।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तरालेख
1	दिनांक 22.03.2023 को गूगल अर्थ ईमेजरी के अनुसार डायवर्जन के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल निर्माण कार्य की गतिविधियाँ दिखाई दे रहा है।	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के एप्रोच मार्ग का निरीक्षण में पाया गया कि संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग बिना अनुमति का किया गया है। जिसके क्रम में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के क्रम में रेंज केस संख्या-9/2022-23 जारी किया गया है तथा ई-3 रसीद सं0-12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि मु0 50,000.00 वसूल कर जमा करायी गयी है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि सड़क पटरी के किनारे (रिंखिक) प्रस्तावित की गयी है। वन ब्लाक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि प्रस्तावित करने की आवश्यकता है।	उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम समाज कुशहरी, तहसील व जिला-देवरिया में चयनित किया गया है जिसका डिजिटल मैप व टोपोशीट तथा प्राक्कलन संलग्न कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या-1 से 2 तक की आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R. J. Aest
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया